



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-3)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- वीरेन्द्र कुमार
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460502445
वाद संख्या:- 2445/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम बसरा खातून
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 05/06/2026

2961/0.4430हे

वाद सं०-

ग्राम-दोना निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण लेखपाल की हस्तान्तरण रिपोर्ट के आधार पर प्रारम्भ किया गया, जो कि विक्रयपत्र दिनांक 15.12.2025 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर इष्टहार जारी किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी क्षेत्रीय लेखपाल बयान के अनुसार विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रीत भूमि सीलिंग भूदान व पट्टे की नहीं है। जिससे यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। यह आदेश इस तथ्य के अधीन रहेगा कि भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है या भूमि किसी संस्था/बैंक में बन्धक/भारयुक्त पायी जाती है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00693 की खसरा सं० 2660 का कुल रकबा 0.1770हे० में से विक्रीत रकबा 0.0885हे०, खसरा सं० 2798 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0255हे०, खसरा सं० 2799 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विक्रीत रकबा 0.1260 हे०, खसरा सं० 2961 का कुल रकबा 0.4430हे० में से विक्रीत रकबा 0.1900हे०, कुल रकबा 0.7970हे० में से विक्रीत रकबा 0.4300हे० विक्रेता का संपूर्ण अंश मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती बुषरा खातून पत्नी मा० नसीम निवासी दोना लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री ंषहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण गोमतीनगर लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 15.12.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:

ना० तह० बिजनौर(पी३)

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"